न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—03 / 2024

प्रार्थीः—

मालसिंह उर्फ मालाराम पुत्र बुधसिंह उर्फ बुधा जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 02.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 396,1658 / 383 व 1656 / 383 रकबा क्रमशः 2.7681, 0.4937 व 0.0971 हैक्टेयर ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''मालाराम पुत्र बुधा'' व ''मालाराम पुत्र बुधाजी'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 1179 दिनांक 31.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, बैक डायरी, व राशन कार्ड की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किये है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व राशनकार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम इन्द्राणा के खसरा संख्या 396,1658 / 383 व 1656 / 383 रकबा क्रमशः 2.7681, 0.4937 व 0.0971 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ''मालाराम पुत्र बुधा'' व ''मालाराम पुत्र बुधाजी'' लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:39 IST
Reason: SelfAttested

से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार, राशनकार्ड एवं बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम 'मालाराम पुत्र बुधा'' व ''मालाराम पुत्र बुधाजी'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम इन्द्राणा के खसरा संख्या 396, 1658/383 व 1656/383 रकबा क्रमशः 2.7681, 0.4937 व 0.0971 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''मालाराम पुत्र बुधा'' व ''मालाराम पुत्र बुधाजी'' के स्थान पर ''मालसिंह पुत्र बुधसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:39 IST
Reason: SelfAttested